भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3777

दिनांक 11/08/2026 को उत्तरार्थ

भूमि का गलत सीमांकन

3777. श्री देवेश शाक्यः
सुश्री इकरा चौधरीः
श्रीमती रुचि वीराः
श्री नीरज मौर्यः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर और एटा-कासगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित कई जिलों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वेक्षण के दौरान 'आबादी भूमि' के गलत सीमांकन के कारण पारिवारिक विवादों और मुकदमेबाजी में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या राष्ट्रीय स्तर पर वितरित 2.75 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्यों में से उन कार्डों का डेटा उपलब्ध है जिन्हें बैंकों ने तकनीकी आधार पर जमानत के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया है और इनमें से ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जहां बैंकों ने संपत्ति कार्ड स्वीकार नहीं किया है और तत्संबंधी कारण क्या हैं और यदि हां, तो जौनपुर और एटा-कासगंज लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और जौनपुर में घरौनी (स्वामित्व प्रमाण पत्र) के वितरण के बाद भी राजस्व अभिलेखों और भौतिक कब्जे के बीच भारी अंतर के कारण डिजिटल डेटा की विश्वसनीयता संदिग्ध बनी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार उन क्षेत्रों में ड्रोन द्वारा पुनः सर्वेक्षण सुनिश्चित करने पर विचार कर रही है जहां स्थानीय निवासियों ने पारदर्शिता की कमी और सर्वेक्षकों की मनमानी की शिकायत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) स्वामित्व योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को अधिकारों का अभिलेख प्रदान करना है। इस योजना के तहत, ड्रोन सर्वेक्षण और सतत संचालन संदर्भ स्टेशनों (कोर्स) तकनीक का उपयोग करके गांवों के आबादी वाले क्षेत्रों के उच्च सटीकता वाले मानचित्र बनाने के लिए ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों को सीमांकित किया जाता है। ये अत्यधिक सटीक मानचित्र संपत्ति की सीमाओं को स्पष्ट रूप से सीमांकित करके और अधिकारों का अभिलेख बनाकर संपत्ति से संबंधित विवादों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा, जमीनी सत्यापन और विवाद समाधान की पारदर्शी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि स्वामित्व अभिलेख निष्पक्ष और सटीक रूप से तैयार किए गए हैं। पंचायती राज मंत्रालय पारिवारिक विवादों और मुकदमेबाजी के विवरण का रखरखाव नहीं करता है।

(ख) दिनांक 5 अगस्त 2026 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर, 2.72 करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं, जिनमें से 1.04 करोड़ संपत्ति कार्ड उत्तर प्रदेश में वितरित किए गए हैं। संपत्ति कार्डों पर बैंक ऋण की सुविधा देने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, राज्य राजस्व विभाग, सहयोगात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं ताकि बैंक ऋण के लिए संपत्ति कार्ड को स्वीकार किया जा सके। राज्य सरकारें इस विषय पर अपने प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रही हैं। अभी तक, मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्वामित्व संपत्ति कार्ड (राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है) के आधार पर 1,713 करोड़ रुपये के 11,147 ऋण दिये गए हैं। मंत्रालय में ऐसे मामलों के रिकॉर्ड का रखरखाव नहीं किया जाता है जिनमें बैंकों ने ऋण के लिए संपत्ति कार्ड को गिरवी (कोलेटरल) के तौर पर स्वीकार नहीं किया है।

(ग) स्वामित्व योजना के तहत, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के तकनीकी सहयोग से राज्य सरकार द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण और संपत्ति कार्ड तैयार करने का कार्य किया जाता है। राज्य राजस्व अधिनियमों के अनुसार दावे/आपत्तियों को दर्ज करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मसौदा मानचित्र प्रकाशित किए जाते हैं। स्वामित्व रिकॉर्डों को अंतिम रूप देने से पहले सटीक ड्रोन सर्वेक्षण, मजबूत जमीनी सत्यापन प्रक्रिया और प्रभावी सार्वजनिक जांच के साथ-साथ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा आपत्तियों के समाधान के माध्यम से स्वामित्व डिजिटल डेटा और संपत्ति कार्डों की विश्वसनीयता सुनिश्चित की जाती है।

घ) स्वामित्व योजना में संपत्ति कार्डों को अंतिम रूप देने से पहले सर्वेक्षण, जमीनी सत्यापन और आपत्तियों के निपटान के लिए एक पारदर्शी प्रणाली का प्रावधान किया गया है। जिन मामलों में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वास्तविक तकनीकी मुद्दों या सर्वेक्षण में कमियों की पहचान की जाती है, वहाँ आवश्यकता के अनुसार सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं, जिनमें ड्रोन का पुनः उड़ान भी शामिल है।

अनुलग्नक-I

"भूमि के गलत सीमांकन" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3777 जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2026 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**ऋणों की संख्या**	**संवितरित धनराशि (रु. लाख में)**
मध्य प्रदेश	2202	17,777.37
राजस्थान	8808	1,51,967.83
महाराष्ट्र	37	386.96
लद्दाख	9	161.18
मिज़ोरम	19	304.5
जम्मू और कश्मीर	29	397.21
गुजरात	43	373
कुल	11,147	1,71,368.05
